

पटना न्यायाधिकार के उच्च न्यायालय में
लेटर्स पेटेंट अपील सं.671/2018
सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.6827/2016

- =====
1. प्रियंका कुमारी, पत्नी-संतोष कुमार, निवासी गाँव-बेलबनवा मोतिहारी, थाना- मोतिहारी शहर, जिला-पूर्वी चंपारण।
 2. भूषण सिंह @हरि भूषण सिंह, पुत्र-जय कुमार सिंह, निवासी-खैराही, डाकघर पचपोखारी, थाना नोखा, जिला-रोहतास।
 3. सनोज कुमार, पुत्र- गोपीचंद दास, निवासी-गाँव-नवीनगर दास मोहल्ला डाकघर + थाना- नवीनगर, जिला-औरंगाबाद।
 4. धर्मेन्द्र कुमार, पुत्र-स्वर्गीय गणेश राम, निवासी ग्राम डाक-बैरवा, थाना-शिवसागर, जिला- रोहतास, सासाराम।
 5. सुनीता कुमारी, पुत्री-गणेश राम, निवासी-गाँव + पोस्ट उधानी, थाना-चेनारी, जिला- रोहतास।
 6. राकेश कुमार, पुत्र-महेंद्र प्रसाद सिंह, निवासी-सर गणेश दत्त नगर रोड नंबर 02, पोस्ट भगवानपुर, थाना सदर, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर।
 7. मुन्ना कुमार सिंह, पुत्र-योगेंद्र प्रसाद सिंह, निवासी- जलालपुर पोस्ट-बेला थाना दरियापुर जिला सरन छापरा।
 8. रजनीकांत सिंह, पुत्र- स्वर्गीय सीता राम सिंह, पी. ओ. परसा, थाना- परसा, जिला- सारण चापड़ा।
 9. पूनम कुमारी सिंह, पत्नी-सिकंदर प्रसाद सिंह, निवासी-गांव-बस्ती जलाल थाना- दिघवाड़ा, जिला-सारण चापड़ा।

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. प्रधान सचिव शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, बेतिया, पश्चिम चंपारण।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, सासाराम, रोहतास।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, छपरा, सारण।
7. उपायुक्त (डी. डी. सी.) सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला बोर्ड, सासाराम, रोहतास।
8. उपायुक्त (डी. डी. सी.) सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला बोर्ड, बेथिया, पश्चिम चंपारण।
9. उपायुक्त (डी. डी. सी.) सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला बोर्ड, छापरा, सारण।
10. विवेक कुमार गुप्ता, स्वर्गीय ईश्वरी प्रसाद गुप्ता के पुत्र, ग्राम डाक पुलिस स्टेशन अकोडी गोला, रोहतास, राजेश्वर, हाई स्कूल, खुदानु, सासाराम।
11. मो. इस्लाम हुसैन, पुत्र-मोहम्मद निज़ाम हुसैन, निवासी बर्धी टोला, पी.ओ. थाना अकोधी टोला, रोहतास हाई स्कूल, बुधबल, कराघाट।
12. शशि रंजन कुमार, पुत्र-रघुबीर प्रसाद प्रजापति, निवासी- गाँव पी. ओ. अकोधी, थाना- अकोधी टोला, जिला-रोहतास।
13. संजय कुमार राय, पुत्र-स्वर्गीय बृजनंदन राय, निवासी-गाँव पी. ओ. अकोधी, थाना- अकोधी टोला, जिला-रोहतास।
14. संतोष कुमार गुप्ता, पुत्र-नंद गोपाल प्रसाद, निवासी- गाँव के निवासी-बारधी गोला, पी. ओ. थाना अखौडी गोला, जिला-रोहतास।
15. धरजेश, पुत्र-श्री धीरेंद्र प्रसाद सिन्हा, निवासी काची-पक्की रोड सीधी निवास, अतरदाह, थाना- सदर, पी. ओ. रामहा, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर।

16. गणेश कुमार सिंह, पुत्र-सतरुधन प्रसाद सिंह, निवासी-जलालपुर पोस्ट-बेला थाना-दरियापुर जिला सरन छापरा।
17. कमलेश कुमार सिंह, पुत्र-श्री लखन देव सिंह, निवासी-गाँव-धारहरा, पोस्ट दारीहाट, जिला-रोहतास सासाराम बिहार।

..... प्रतिवादी/गण

=====

छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना या विनियम) अधिनियम 2002 - खंड 5

अपील - विश्वविद्यालय संबद्धता - एकल न्यायाधीश के फैसले की शुद्धता का प्रश्न - दावा - नौकरी बचाएं - विश्वविद्यालय द्वारा दी गई डिग्री के आधार पर रोजगार बचाएं - एकल न्यायाधीश ने अस्वीकार कर दिया - निष्कर्ष - अपीलकर्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक लाभ के हकदार नहीं हैं - विश्वविद्यालय को अस्तित्वहीन घोषित किया गया - नहीं विश्वविद्यालय के शैक्षणिक लाभ के हकदार - रोजगार सही ढंग से समाप्त - राज्य सरकार द्वारा छात्रों के करियर पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए - प्रोत्साहन का लाभ बढ़ाया जाए - छात्रों के करियर को बनाए रखा जाए - अधिनियम के तहत बनाया गया विश्वविद्यालय - अस्तित्व पर संदेह नहीं - निर्णय के तहत अस्तित्वहीन घोषित किया गया सर्वोच्च न्यायालय - ऐसी डिग्री के आधार पर रोजगार समाप्त - छात्रों का करियर खतरे में - प्रामाणिकता से की गई पढ़ाई - पुस्तकालय विज्ञान - रोजगार का आधार - रोजगार समाप्त - आधार - डिग्री अमान्य - शीर्ष न्यायालय ने ऐसी किसी भी डिग्री को शून्य घोषित नहीं किया - छत्तीसगढ़ राज्य ने कोई कदम नहीं उठाया डिग्री की मान्यता के लिए - समाप्त हो गई - डिग्री की वैधता के संबंध में - ऐसी डिग्री की मान्यता का प्रश्न - अदालत द्वारा जांच के लिए खुला नहीं - अपील को अवलोकन के साथ रिकॉर्ड में भेज दिया गया।

पटना न्यायाधिकार के उच्च न्यायालय में
लेटर्स पेटेंट अपील सं.671/2018
सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.6827/2016

- =====
1. प्रियंका कुमारी, पत्नी-संतोष कुमार, निवासी गाँव-बेलबनवा मोतिहारी, थाना- मोतिहारी शहर, जिला-पूर्वी चंपारण।
 2. भूषण सिंह @हरि भूषण सिंह, पुत्र-जय कुमार सिंह, निवासी-खैराही, डाकघर पचपोखारी, थाना नोखा, जिला-रोहतास।
 3. सनोज कुमार, पुत्र- गोपीचंद दास, निवासी-गाँव-नवीनगर दास मोहल्ला डाकघर + थाना- नवीनगर, जिला-औरंगाबाद।
 4. धर्मेन्द्र कुमार, पुत्र-स्वर्गीय गणेश राम, निवासी ग्राम डाक-बैरवा, थाना-शिवसागर, जिला- रोहतास, सासाराम।
 5. सुनीता कुमारी, पुत्री-गणेश राम, निवासी-गाँव + पोस्ट उधानी, थाना-चेनारी, जिला- रोहतास।
 6. राकेश कुमार, पुत्र-महेंद्र प्रसाद सिंह, निवासी-सर गणेश दत्त नगर रोड नंबर 02, पोस्ट भगवानपुर, थाना सदर, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर।
 7. मुन्ना कुमार सिंह, पुत्र-योगेंद्र प्रसाद सिंह, निवासी- जलालपुर पोस्ट-बेला थाना दरियापुर जिला सरन छापरा।
 8. रजनीकांत सिंह, पुत्र- स्वर्गीय सीता राम सिंह, पी. ओ. परसा, थाना- परसा, जिला- सारण चापड़ा।
 9. पूनम कुमारी सिंह, पत्नी-सिकंदर प्रसाद सिंह, निवासी-गांव-बस्ती जलाल थाना- दिघवाड़ा, जिला-सारण चापड़ा।

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. प्रधान सचिव शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, बेतिया, पश्चिम चंपारण।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, सासाराम, रोहतास।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, छपरा, सारण।
7. उपायुक्त (डी. डी. सी.) सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला बोर्ड, सासाराम, रोहतास।
8. उपायुक्त (डी. डी. सी.) सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला बोर्ड, बेतिया, पश्चिम चंपारण।
9. उपायुक्त (डी. डी. सी.) सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला बोर्ड, छपरा, सारण।
10. विवेक कुमार गुप्ता, स्वर्गीय ईश्वरी प्रसाद गुप्ता के पुत्र, ग्राम डाक पुलिस स्टेशन अकोडी गोला, रोहतास, राजेश्वर, खुदानु, सासाराम।
11. मो. इस्लाम हुसैन, पुत्र-मोहम्मद निज़ाम हुसैन, निवासी बर्धी टोला, पी.ओ. थाना अकोधी टोला, रोहतास हाई स्कूल, बुधबल, कराघाट।
12. शशि रंजन कुमार, पुत्र-रघुबीर प्रसाद प्रजापति, निवासी- गाँव पी. ओ. अकोधी, थाना- अकोधी टोला, जिला-रोहतास।
13. संजय कुमार राय, पुत्र-स्वर्गीय बृजनंदन राय, निवासी-गाँव पी. ओ. अकोधी, थाना- अकोधी टोला, जिला-रोहतास।
14. संतोष कुमार गुप्ता, पुत्र-नंद गोपाल प्रसाद, निवासी- गाँव के निवासी-बारधी गोला, पी. ओ. थाना अखौडी गोला, जिला-रोहतास।
15. धरजेश, पुत्र-श्री धीरेंद्र प्रसाद सिन्हा, निवासी काची-पक्की रोड सीधी निवास, अतरदाह, थाना- सदर, पी. ओ. रामहा, जिला-मुज़फ़्फ़रपुर।

16. गणेश कुमार सिंह, पुत्र-सतरुधन प्रसाद सिंह, निवासी-जलालपुर पोस्ट-बेला थाना-दरियापुर जिला सरन छापरा।
17. कमलेश कुमार सिंह, पुत्र-श्री लखन देव सिंह, निवासी-गाँव-धारहरा, पोस्ट दारीहाट, जिला-रोहतास सासाराम बिहार।

..... प्रतिवादी/गण

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री संजय कुमार वर्मा, अधिवक्ता
श्री अजीत कुमार सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री आशुतोष रंजन पांडे-एएजी-15
श्री राकेश नारायण सिंह, ए.सी. से ए.ए.जी-15

=====

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमति अंजना मिश्रा

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तारीख: 11-04-2019

अपीलार्थियों के वकील श्री संजय कुमार वर्मा और बिहार राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता सं 15 श्री आशुतोष रंजन पांडे को सुना गया।

2. यह अपील 2016 के सी.डब्ल्यू.जे.सी संख्या 6827 में पारित 22 फरवरी, 2018 के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले की शुद्धता पर सवाल उठाती है, जिसके तहत 2018 के पटना उच्च न्यायालय एल.पी.ए. संख्या. 671 अपीलार्थियों

का दावा और प्रौद्योगिकी और विज्ञान विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदान की गई डिग्री के बल पर अपने रोजगार को बचाने के उनके प्रयास को अस्वीकार कर दिया गया है।

3. प्रो. यशपाल और एक अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य (2005) 5 एस.सी.सी. 420 में रिपोर्ट किए गए विद्वान एकल न्यायाधीश ने तथ्यों के साथ-साथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का भी वर्णन किया है अन्य लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अपीलार्थी उक्त विश्वविद्यालय के शैक्षणिक लाभों के हकदार नहीं हैं, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तहत अस्तित्वहीन घोषित किया गया है और इसलिए विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी डिग्री के आधार पर उनकी नियुक्ति को उचित रूप से समाप्त कर दिया गया था।

4. हालाँकि, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि कंडिका 64 और 65 में दिए गए उसी फैसले में संकेत दिया गया है कि छात्रों के करियर को खतरे में डालने के बजाय राज्य सरकार द्वारा फिर से देखा जाना चाहिए ताकि संबद्धता का कोई भी लाभ दिया जा सके या अन्यथा ऐसे संस्थानों में भर्ती हुए ऐसे छात्रों के करियर को बनाए रखा जा सके। उपरोक्त टिप्पणियों के बल पर, विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि यह राज्य के विधानमंडल के एक अधिनियम के तहत बनाया गया एक विश्वविद्यालय था, जिसका नाम है, छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय की धारा 5 (स्थापना या विनियमन) अधिनियम 2002 और इसलिए इसके अस्तित्व पर संदेह नहीं किया जा सकता है। तर्क यह है कि जहां तक अपीलार्थियों का संबंध है, विश्वविद्यालय की स्थापना की वैधता या अन्यथा उन्हें ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें पहले से प्रदान की गई डिग्री को वस्तुतः याद करने के उद्देश्य से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी से अपनी पढ़ाई की है और उन्हें डिग्री प्रदान की गई है जो वर्तमान मामले में उस आधार पर

पुस्तकालय विज्ञान से संबंधित डिग्री हैं जिसके आधार पर उन्हें रोजगार दिया गया था। यह उनका रोजगार है जिसे अब उनकी डिग्री अमान्य होने के आधार पर समाप्त कर दिया गया है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वयं कानून की घोषणा ने छात्रों के हितों और उनके करियर की रक्षा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को सुरक्षा प्रदान की और निर्देश जारी किए। इसलिए, तर्क यह है कि अपीलकर्ता बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि वे ऐसे छात्र हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तहत विश्वविद्यालय को अस्तित्वहीन घोषित किए जाने से पहले ही डिग्री प्रदान की जा चुकी थी। नतीजतन, इस विश्वविद्यालय में अपने शैक्षणिक करियर को आगे बढ़ाने वाले अपीलार्थियों की ओर से किसी भी प्रकार की चूक उस रोजगार को वापस लेने का कारण नहीं हो सकती है जो अपीलार्थियों को एक डिग्री के आधार पर दी गई थी जो अन्यथा वैध था। जब दिया गया था।

5. पक्षकारों के बीच शपथ-पत्रों का आदान-प्रदान किया गया और उसके बाद विद्वान एकल न्यायाधीश ने निष्कर्षों को दर्ज किया है और यह निष्कर्ष निकाला है कि यह मानते हुए भी कि समाप्ति आदेश कानून की किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना निकले हैं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं, मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए अधिकारियों के पास वापस भेजना एक व्यर्थ औपचारिकता होगी, क्योंकि स्वीकार किए गए तथ्यों पर जिस डिग्री के आधार पर अपीलकर्ताओं ने रोजगार प्राप्त किया था वह अमान्य है और परिणामस्वरूप डिग्री रखने वाले सभी अपीलकर्ता, जो एक शून्य है, उसके बल पर रोजगार में बने रहने का दावा नहीं कर सकते हैं।

6. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि ऐसे छात्रों को दिए जा रहे किसी भी संरक्षण के संबंध में पहलू जो पहले से ही डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, **प्रो. यशपाल** (ऊपर) के मामले में फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार नहीं

किया गया है। और न ही छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने इस तरह के किसी भी लाभ से इनकार किया है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी इस पहलू पर विचार नहीं किया है और इसलिए, उपरोक्त पृष्ठभूमि में कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना अपीलार्थियों के रोजगार की समाप्ति को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

7. बिहार राज्य के विद्वान वकील, श्री आशुतोष रंजन पांडे, हालांकि, तर्क देते हैं कि एक शैक्षणिक डिग्री के आधार पर अपीलार्थियों को दी गई नौकरी जो एक शून्य है, को बनाए नहीं रखा जा सकता है और इसका कोई भी जारी रहना कानून के विपरीत होगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस पृष्ठभूमि में अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई थी और संस्थान की स्थिति को सत्यापित करने के बाद 19 मई, 2009 को उप निदेशक (शिक्षा) का पत्र जारी किया गया था, जिसमें अधिकारियों को अपीलकर्ताओं के साथ-साथ ऐसे अन्य समान स्थिति वाले कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया था, जिन्होंने ऐसे संस्थानों से डिग्री प्राप्त की थी।

8. उपरोक्त दलीलों का जवाब देते हुए, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि संलग्न सूची के क्रम संख्या 5 में उक्त दस्तावेज विश्वविद्यालय के नाम को इंगित करता है जो सही नाम नहीं है, और अन्यथा भी एक संकेत है कि विश्वविद्यालय 2005 से बंद है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विश्वविद्यालय का बंद होना सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण था और इसलिए इस तरह का बंद होना, विश्वविद्यालय से अपीलकर्ताओं द्वारा प्राप्त डिग्री को ग्रहण या निरस्त नहीं करता है जब यह उससे पहले अस्तित्व में थी। नतीजतन, निदेशक (शिक्षा) जारी किए गए उक्त निर्देश पूर्वव्यापी तरीके से लागू नहीं होगा ताकि एक वैध डिग्री के किसी भी प्रभाव को दूर किया जा सके जो अन्यथा स्वीकार किए जाने में सक्षम थी क्योंकि इसे

विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया था जिसे एक कानून के तहत बनाया गया था। इसलिए विश्वविद्यालय को ऐसी डिग्री प्रदान करने का अधिकार दिया गया था और इसके परिणामस्वरूप, 19 मई, 2009 का उप निदेशक (शिक्षा) का पत्र विश्वविद्यालय द्वारा पहले से दी गई डिग्री के प्रभाव को दूर या रद्द नहीं करता है।

9. हमने अपने सामने सभी तर्कों पर विचार किया है और हम पाते हैं कि **प्रो.यशपाल** (उपरोक्त) अधिनियम के प्रावधानों को, जिसके तहत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, अधिकार से बाहर घोषणा करते हुए ऐसे विश्वविद्यालयों की मान्यता रद्द कर देते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय का जन्म, कानून के तहत लिया गया है, जिसे अधिकार से बाहर घोषित किया गया था, इसलिए ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा दी गई डिग्री की स्वीकृति को वैध होने की अनुमति नहीं दे सकता है, जिसे अस्तित्वहीन घोषित किया गया है। हमारी राय में, उस विश्वविद्यालय की डिग्री को मान्यता देना विरोधाभासी होगा जिसे एक अमान्य कानून के कारण अस्तित्वहीन घोषित किया गया है, जिसके तहत स्वयं विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया था। यदि विश्वविद्यालय का निर्माण स्वयं गैरकानूनी था, तो ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई कोई भी डिग्री को वैध रोजगार के उद्देश्य से सेवा में नहीं लगाया जा सकता है।

10. इसलिए, हम ऐसे किसी भी लाभ के अनुदान के लिए रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करने में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अंततः निकाले गए निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

11. तथापि, एक तर्क है जो उल्लेख करने योग्य है, अर्थात् **प्रो. यशपाल** (उपरोक्त) के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष रूप से पहले से प्रदान की गई ऐसी किसी भी डिग्री को अमान्य घोषित नहीं किया। उस हद तक, अपीलार्थी ऐसे लाभों को बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के समक्ष अपनी शिकायतें उठा सकते थे, लेकिन

वर्तमान मामले में हम क्या पाते हैं कि न तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और न ही छत्तीसगढ़ राज्य को पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है, जिसके आधार पर इस न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निर्धारण करने का प्रयास किया जा सकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अपीलार्थी ऐसे किसी लाभ के हकदार होंगे या नहीं। दाखिल किए गए किसी भी दस्तावेज में इस बात का कोई संकेत नहीं है कि छत्तीसगढ़ राज्य ने ऐसी डिग्री की मान्यता के लिए कोई कदम उठाया था, जो वस्तुतः कानून के संचालन और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानून की घोषणा से समाप्त हो गई थी, उन्हें पुनर्जीवित करने या स्वीकार करने के लिए कोई आगे की कार्रवाई किए बिना उन्हें राज्य के अधीन किसी भी रोजगार के उद्देश्य से अस्तित्व में होने के लिए स्वीकार किया गया था।

12. नतीजतन, हम अपनी डिग्री की वैधता या अन्यथा के संबंध में अपीलकर्ताओं द्वारा इस तरह से उठाए गए मुद्दे पर आगे की जांच करने में असमर्थ हैं और हम अपीलकर्ताओं के लिए किसी भी ऐसे लाभ का दावा करने के लिए खुला छोड़ देते हैं, यदि कानून में अनुमति है, क्योंकि इस तरह की डिग्री की मान्यता का सवाल हमारे द्वारा जांच के लिए खुला नहीं होगा, जो ऊपर कहा गया है।

13. इसलिए, अपील को तदनुसार उक्त टिप्पणियों के साथ रिकॉर्ड में भेज दिया जाता है।

(अमरेश्वर प्रताप साही, मुख्य न्यायाधीश)

(अंजना मिश्रा, न्यायमूर्ति)

पी.के.पी./-जगदीश

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।